

**ग्राम पंचायत लम्बरी, विकास खण्ड सुजानपुर, जिला हमीरपुर के लेखाओं का
अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 01.04.14 से 31.03.17**

1 (क) प्रस्तावना :-

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि.प्र., को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत लम्बरी, विकास खण्ड सुजानपुर, जिला हमीरपुर के अवधि 01.04.14 से 31.03.17 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थे:-

प्रधान:-

क्र० सं०	नाम	अवधि
1	श्री केशर सिंह	01.04.14 से 22.01.16
2	श्रीमति संदला देवी	23.01.16 से लगातार

सचिव:-

क्र० सं०	नाम	अवधि
1	श्री देविन्द्र सिंह	01.04.14 से 28.10.14
2	श्री उत्तम चन्द	28.10.14 से 26.05.16
3	श्री मनोहर लाल	26.05.16 से 07.03.17
4	श्री पवन कुमार	07.03.17 से लगातार

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत लम्बरी, विकास खण्ड सुजानपुर के लेखाओं अवधि 01.04.14 से 31.03.17 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है।

क्र०सं०	पैरा सं०	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	पैरा-4	रोकड़ वही का बैंक खातों से मिलान न करना	-

2	पैरा-4	बैंक में जमा राशि का रोकड़ वही में लेखांकन न करना	2.50
3	पैरा-5	अनुदान का उपयोग न करना	17.30
4	पैरा-6	निर्माण कार्यों के प्राक्कलन तैयार किए बिना ही व्यय करना	-
5	पैरा-7	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही स्टॉक/स्टोर का क्रय करना	-
6	पैरा-8	निर्माण सामग्री का क्रय अधिक दरों पर करने से पंचायत को हानि	0.10
7	पैरा-9	निर्माण कार्य में किए गए अनियमित भुगतान बारे	0.05

2 वर्तमान अंकेक्षण:-

ग्राम पंचायत लम्बरी, विकास खण्ड सुजानपुर, जिला हमीरपुर के अवधि 4/2014 से 03/2017 तक के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री संदीप कमल, अनुभाग अधिकारी व श्री नरेंद्र कुमार, आर्टिकल सहायक द्वारा दिनांक 26.05.17 से 30.05.2017 तक ग्राम पंचायत कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया।

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2014-15	03/2015	10/2014
2015-16	03/2016	05/2015
2016-17	03/2017	02/2017

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई किसी भी गलत सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि.प्र. उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क:-

ग्राम पंचायत लम्बरी, विकास खण्ड सुजानपुर के अवधि 4/2014 से 3/2017 तक के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹6400 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हि०प्र०) शिमला-9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 380 दिनांक 29.05.17 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में पंचायत द्वारा ड्राफ्ट संख्या 820005

(PNB) दिनांक 31.05.17 को निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हि०प्र०) शिमला-171009 को प्रेषित कर दिया गया।

4 वित्तीय स्थिति :-

ग्राम पंचायत लम्बरी, द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.14 से 31.03.17 के लेखाओं वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी :-

- (1) स्व: स्रोत:- ग्राम पंचायत लम्बरी, के अवधि 01.04.14 से 31.03.17 तक की स्व स्रोतों की वित्तीय स्थिति का विवरण :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014-15	439950	46382	486332	1949	484383
2015-16	484383	47775	532158	8106	524052
2016-17	524052	48221	572273	36222	536051

- (2) अनुदान:- ग्राम पंचायत लम्बरी, के अवधि 01.04.14 से 31.03.17 तक की अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न परिशिष्ट-1 में भी दिया गया है :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014-15	608327	1134599	1742926	1011438	731488
2015-16	731488	1063209	1794697	1048823	745874
2016-17	745874	1661181	2407055	677201	1729854

4.1 बैंक समाधान विवरणी :-

स्व स्रोत :-

दिनांक 31.03.17 को रोकड़ वहियों में अन्तिम शेष : ₹536051

अनुदान :-

दिनांक 31.03.17 को रोकड़ वहियों में अन्तिम शेष : ₹1729854

कुल अन्तिम शेष ₹2265905

दिनांक 31.03.17 को बैंक खातों में शेष : ₹2265822

हस्तगत राशि : ₹83

बैंक खाता संख्या	राशि
GEN. (B) PNB-11372	216989.49
GEN. (A) PNB-11363	410743.04
GEN. (A) KCCB-05091	124738.82
IAY, PNB-22703	88.99
13 th & 14 th FC, PNB-11381	1513261.99
MNREGA, PNB-06653	0
कुल राशि	2265822.33

4.2 रोकड़ वही का बैंक खातों से मिलान न करना :-

ग्राम पंचायत लम्बरी की रोकड़ वही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ वही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ वही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य था। अतः पंचायत द्वारा रोकड़ वहियों का बैंक खाते से मिलान न करना नियमों के विरुद्ध होने के कारण अनियमित है। अतः इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए पंचायत की रोकड़ वहियों को बैंक खातों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

4.3 बैंक में जमा राशि ₹2.50 का रोकड़ वही में लेखांकन न करना:-

जांच में पाया कि पंचायत में स्व जल धारा के नाम से बैंक खाता संख्या KCCB-20042038980 (सुजानपुर) खोला गया था जिसमें दिनांक 31.03.17 को ₹250056 जमा थे एवं इस खाते का रख-रखाव रोकड़ वही में नहीं किया गया था एवं अंकेक्षण अवधि में इस खाते से कोई लेन-देन भी नहीं किया गया था। अंकेक्षण के दौरान पंचायत सचिव द्वारा इस खाते के रख-रखाव के उद्देश्य से अंकेक्षण को अवगत नहीं करवाया जिससे इस खाते में जमा राशि के दुरुपयोग की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः इस खाते को खोलने के उद्देश्य से अंकेक्षण को अवगत करवाएँ एवं इसका रख-रखाव रोकड़ वही में करना सुनिश्चित करें ताकि इसमें जमा राशि का दुरुपयोग न हो सके।

5 अनुदान ₹17.30 लाख का उपयोग न करना :-

पंचायत द्वारा अनुदानों से संबन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना (परिशिष्ट-1) के अनुसार दिनांक 31.03.17 तक अनुदान ₹1729854 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ-साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से वंचित होना पड़ा। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ोतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण संबन्धित संस्था को किया जाये।

6 निर्माण कार्यों के प्राक्कलन तैयार किए बिना ही व्यय करना :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 94 के अनुसार ₹50000 व इससे अधिक राशि के कार्यों का निष्पादन प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन तैयार किए बिना नहीं किया जा सकता था। निर्माण कार्यों से संबन्धित व्यय वाउचरों की जांच करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्नविवरणानुसार निर्माण कार्यों पर व्यय प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन तैयार किए बिना ही किया गया, जो कि नियमों के अनुकूल न होने के कारण

अनियमित व आपतिजनक है। अतः निर्माण कार्यों पर किए गए व्यय को सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाया जाए अन्यथा किए गए व्यय की वसूली उचित स्रोत से करने के उपरान्त अपेक्षित राशि पंचायत निधि में जमा करवाई जाये।

क्र०सं	अवधि	कार्य का नाम
General Cash Book		
1	2015-16	नि. मुरम्त रिटेनिंग वाल गाँव अस्थोथा, रत्न चन्द के घर के पास Mnrega
2	2014-15	नि. बौड़ी शमशान घाट, सौड़
3	2016-17	नि. बौड़ी हरिजन बस्ती, लम्बरी

7 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही स्टॉक/स्टोर का क्रय करना :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (4), 67 (5) एवं 69 द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकतायें (निविदायें इत्यादि आमंत्रित करना) प्रावधित है। जांच में पाया कि वर्ष 2015-16 में पंचायत में सामग्री का क्रय निविदायें आमंत्रित किए बिना ही किया गया था। चयनित माहों के व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि निम्नविवरणानुसार पंचायत द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया, जो कि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपतिजनक है। अतः स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र०सं	वाउचर संख्या	बिल का विवरण	सामग्री का विवरण	राशि	कार्य का नाम
General Cash Book					
1	30 दिनांक 11.08.14	Bill No. - Dated 16.07.14, M/s Suresh Sadyal	निर्माण सामग्री	6000.00	नि. डंगा युवक मण्डल भवन के पास
2	31 दिनांक 11.08.14	Bill No. - Dated 17.07.14, M/s Suresh Sadyal	निर्माण सामग्री	18000.00	-do-
3	33 दिनांक 21.08.15	Bill No. 71 Dated 08/2015, M/s Suresh Sadyal	निर्माण सामग्री	7500.00	नि. लिंक रोड ओंकार चन्द के घर से ईश्वर की जमीन से होता हुआ शमशान घाट की ओर, गाँव जियाणा

4	42 दिनांक 17.09.15	Bill No. 73 Dated 08/2015, M/s Suresh Sadyal	निर्माण सामग्री	12000.00	नि. मुरम्त रिटेनिंग वाल गाँव अस्थोथा, रत्न चन्द के घर के पास
5	48 दिनांक 05.11.15	Bill No. 75 Dated 08/2015, M/s Suresh Sadyal	निर्माण सामग्री	4500.00	नि. लिंक रोड ओंकार चन्द के घर से ईश्वर की जमीन से होता हुआ शमशान घाट की ओर, गाँव जियाणा
6	55 दिनांक 16.12.15	Bill No. 76 Dated 08/2015, M/s Suresh Sadyal	निर्माण सामग्री	6000.00	नि. मुरम्त रिटेनिंग वाल गाँव अस्थोथा, रत्न चन्द के घर के पास
7	60 दिनांक 17.12.15	Bill No. 77 Dated 09/2015, M/s Suresh Sadyal	निर्माण सामग्री	6500.00	-do-
8	61 दिनांक 15.01.16	Bill No. 78 Dated 09/2015, M/s Suresh Sadyal	निर्माण सामग्री	8000.00	नि. लिंक रोड जीप योग्य मेन रोड से GMS की ओर, गाँव जियाणा
9	1 दिनांक 22.04.16	Bill No. 79 Dated 09/2015, M/s Suresh Sadyal	निर्माण सामग्री	3500.00	नि. मुरम्त रिटेनिंग वाल गाँव अस्थोथा, रत्न चन्द के घर के पास
10	2 दिनांक 22.04.16	Bill No. 80 Dated 09/2015, M/s Suresh Sadyal	निर्माण सामग्री	6500.00	नि. लिंक रोड जीप योग्य मेन रोड से GMS की ओर, गाँव जियाणा
13th FC					
11	5 दिनांक 20.01.16	Bill No. 493 Dated 12/2015, M/s SK Hardware store	पेंट इत्यादि	15590.00	मु. पंचायत घर, लम्बरी
12	6 दिनांक 22.01.16	Bill No. - Dated -, M/s Rakesh Electrical	बिजली सामग्री	4207.00	-do-
13	1 दिनांक 22.04.16	Bill No. 168 Dated 03/2016, M/s Sanjay Karyana store	ईटें	5600.00	-do-
14	2 दिनांक 22.04.16	Bill No. 83 Dated 02/2016, M/s Suresh Sadyal	निर्माण सामग्री	9500.00	-do-
Mnrega					
15	38 दिनांक	Bill No. 38 Dated	स्टील	4705.00	नि. बौड़ी शमशान

13.10.14

13.10.14, M/s
Karam Chand &
sons

घाट, सौड़

- 8 निर्माण सामग्री का क्रय अधिक दरों पर करने से पंचायत को ₹0.10 लाख की हानि:-
- जांच में पाया कि वर्ष 2015-16 में निर्माण सामग्री के क्रय के लिए पंचायत में दरें निर्धारित नहीं की गई थी एवं पंचायत में एक ही अवधि में रेत के क्रय के लिए अलग-2 दरों से भुगतान किया गया था। उदाहरण के लिए वाउचर संख्या 33 दिनांक 21.08.15 में बिल संख्या 71 दिनांक 08/2015, मैसर्स सुरेश सड्याल से रेत का क्रय ₹1500 प्रति ट्राली की दर से किया गया था जबकि निम्नलिखित वाउचरों में इसी आपूर्तिकर्ता से इसी अवधि में रेत का क्रय ₹3500 प्रति ट्राली की दर से करने के फलस्वरूप निम्नविवरणानुसार पंचायत को ₹10000 की हानि हुई थी :-

वाउचर संख्या	बिल का विवरण	सामग्री का विवरण	राशि	अधिक भुगतान
60 दिनांक 17.12.15 General Cash Book	Bill No. 77 Dated 09/2015, M/s Suresh Sadyal	2 ट्राली बजरी @ ₹1500/- प्रति ट्राली 1 ट्राली रेत @ ₹3500/- प्रति ट्राली	6500.00	2000/-
61 दिनांक 15.01.16 General Cash Book	Bill No. 78 Dated 09/2015, M/s Suresh Sadyal	1 ट्राली पत्थर @ ₹1500/- प्रति ट्राली 2 ट्राली बजरी @ ₹1500/- प्रति ट्राली 1 ट्राली रेत @ ₹3500/- प्रति ट्राली	8000.00	2000/-
1 दिनांक 22.04.16 General Cash Book	Bill No. 79 Dated 09/2015, M/s Suresh Sadyal	1 ट्राली रेत @ ₹3500/- प्रति ट्राली	3500.00	2000/-
2 दिनांक 22.04.16 General Cash Book	Bill No. 80 Dated 09/2015, M/s Suresh Sadyal	1 ट्राली पत्थर @ ₹1500/- प्रति ट्राली 1 ट्राली बजरी @ ₹1500/- प्रति ट्राली 1 ट्राली रेत @ ₹3500/- प्रति ट्राली	6500.00	2000/-
2 दिनांक 22.04.16 (Mnrega)	Bill No. 83 Dated 02/2016, M/s Suresh Sadyal	2 ट्राली पत्थर @ ₹1500/- प्रति ट्राली 2 ट्राली बजरी @ ₹1500/- प्रति ट्राली 1 ट्राली रेत @ ₹3500/- प्रति ट्राली	9500.00	2000/-

ट्राली

अतः उक्त विवरण में रेत का क्रय अधिक दरों पर करने बारे स्थिति स्पष्ट करें अन्यथा इसकी वसूली उचित स्रोत से करना सुनिश्चित करें एवं अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाएँ ।

9 निर्माण कार्य में ₹4500 का अनियमित भुगतान :-

वाउचर संख्या 15 दिनांक 30.04.16 में श्री प्रकाश चंद को कार्य "नि. लिंक रोड जीप योग्य मेन रोड से GMS की ओर, गाँव जियाणा" के लिए निर्माण सामग्री पत्थर व बजरी जो कि ट्राली में मंगवाई गई थी, को खच्चरों द्वारा निर्माण स्थल तक ढुलवाई करने के एवज में ₹4500 का भुगतान किया गया था। जांच में पाया कि उक्त कार्य के लिए निर्माण सामग्री को खच्चरों द्वारा निर्माण स्थल तक पहुंचाने का कोई औचित्य नहीं था क्योंकि निर्माण सामग्री ट्राली द्वारा निर्माण स्थल तक पहुंचाई जा सकती थी। अतः निर्माण सामग्री की ढुलवाई पर अतिरिक्त खर्च करने का औचित्य स्पष्ट करें अन्यथा ₹4500 के अनियमित भुगतान की वसूली उचित स्रोत से करना सुनिश्चित करें ।

10 विहित रजिस्ट्रों का रख रखाव न करना :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्ट्रों/अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्ट्रों/अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था, जो कि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्ट्रों का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

1. अनुदान रजिस्टर
2. गृहकर रजिस्टर का उचित रख-रखाव न करना ।
3. यात्रा भत्ता बिल का जांच पड़ताल रजिस्टर ।
4. रसीदों का भण्डार रजिस्टर में रख-रखाव न करना ।
5. 13वें वित्त आयोग से क्रय सामग्री के रख-रखाव से संबंधित भण्डार रजिस्टर तैयार न करना ।
6. मोबाइल टावर रजिस्टर का रख-रखाव न करना ।

11 प्रत्यक्ष सत्यापन :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए ।

- 12 लघु आपति विवरणिका :- इसे अलग से जारी नहीं किया गया अपितु छोटी -2 आपतियों का अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया।
- 13 निष्कर्ष:- लेखों में सुधार की आवश्यकता है ।

हस्ता / -
(ज्ञान चन्द शर्मा)
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009.
फोन नं० 0177-2620046

पृष्ठांकन संख्या:-फिन(एल०ए०)एच(पंच)(xv)(6)16 / 2017-खण्ड-1-5361-5364 दिनांक, 1.09.17
शिमला-09,

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ / आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- पंजीकृत
- 1 सचिव, ग्राम पंचायत लम्बरी, विकास खण्ड सुजानपुर, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि०प्र०), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
 - 2 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि०प्र०, कसुम्पटी, शिमला-171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
 - 3 जिला पंचायत अधिकारी, हमीरपुर जिला हमीरपुर हि०प्र०
 - 4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड सुजानपुर, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर हि०प्र०

हस्ता / -
(ज्ञान चन्द शर्मा)
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009.
फोन नं० 0177-2620046